

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/आर-24/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० श्वेता रानी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हसनगंज, कटिहार सम्प्रति द्यूटर एनाटोमी विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ का दिनांक-01.04.2025 से 02.04.2025 तक की उपभोगित अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(राजीव रंजन)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/आर-24/2026- 2055 (2) पटना, दिनांक 20/8/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ/विभागाध्यक्ष, द्यूटर एनाटोमी विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ/कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ/डा० श्वेता रानी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हसनगंज, कटिहार सम्प्रति द्यूटर एनाटोमी विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/8/2026
सरकार के अवर सचिव।